

डिस्कलेमर

आदेश संख्या 03/2024-25 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर (जेआईए) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2022 से 31.03.2027) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 12 जुलाई, 2024

तृतीय तल
उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

15 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय 4 : वित्त वर्ष 2017 से सीओडी तक की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एएआई का टू-अप।

- 4.16.1 पैरा 4.4.1 (तालिका 9) में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए यात्री यातायात और एटीएम को मानना।
- 4.16.2 तालिका 21 में दिए गए विवरण के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों और परिसंपत्तियों के वैमानिक आबंटन को मानना।
- 4.16.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के टू-अप के लिए पैरा 4.7.4 (तालिका 23) में दिए गए विवरण के अनुसार परिसंपत्तियों के संशोधित आबंटन को ध्यान में रखकर मूल्यहास का पुनः परिकलन करना।
- 4.16.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के टू-अप के लिए पैरा 4.8.2 (तालिका 24) में दिए गए विवरण के अनुसार एएआई के लिए आरएबी को मानना।
- 4.16.5 पैरा 4.8.5 (तालिका 26) में दिए गए विवरण के अनुसार जयपुर के लिए माने गए प्रारंभिक आरएबी को मानना।
- 4.16.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के टू-अप के लिए पैरा 4.9.12 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए एफआरओआर के टू-अप को मानना।
- 4.16.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए तालिका 33 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के टू-अप को मानना।
- 4.16.8 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए तालिका 37 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 4.16.9 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए तालिका 40 के अनुसार वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 4.16.10 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए तालिका 42 के अनुसार वैमानिक कराधान के टू-अप को मानना।
- 4.16.11 द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए तालिका 43 के अनुसार एआरआर के टू-अप को मानना।
- 4.16.12 तालिका 43 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के टू-अप के लिए 644.17 करोड़ रूपए की कम वसूली (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार) वाले वर्तमान मूल्य को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुनः समायोजित करना।

अध्याय 5: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए जेआईएल का टू-अप।

- 5.13.1 तालिका 52 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कैपेक्स, मूल्यहास और आरएबी के टू-अप को मानना।
- 5.13.2 सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए तालिका 53 के अनुसार एफआरओआर के टू-अप को मानना।
- 5.13.3 सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए पैरा 5.8.2 के अनुसार बैंक और वित्तीय प्रभारों के टू-अप को मानना।
- 5.13.4 सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए पैरा 5.8.3 के अनुसार कार्यशील पूंजी ऋण ब्याज के टू-अप को मानना।
- 5.13.5 सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए पैरा 5.8.4 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के खर्च के टू-अप को मानना।
- 5.13.6 सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए तालिका 60 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।
- 5.13.7 सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए तालिका 62 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 5.13.8 सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए तालिका 64 के अनुसार वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

- 5.13.9 सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए तालिका 66 के अनुसार कराधान के टू-अप को मानना।
- 5.13.10 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का परिकलन करते समय मानी जाने वाली सीओडी के बाद की अवधि के लिए तालिका 68 के अनुसार 34.16 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात परियोजनाएं

- 6.6.1 जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 80 के अनुसार एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।
- 6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को टू-अप करना।

अध्याय 7: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

- 7.10.1 परिसंपत्तियों के आबंटन संबंधी अध्ययन, आईएमजी मानदंडों के अनुरूप और अन्य समान हवाईअड्डों के लिए अनुमोदित किए अनुसार टर्मिनल भवन के 90:10 के संशोधित अनुपात को मानना।
- 7.10.2 पैरा 7.9.7 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान आईडीसी की अनुमति देना और वित्तीयन भत्ते की अनुमति न देना।
- 7.10.3 तालिका 122 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कैपेक्स के पूंजीकरण को अंगीकार करना।
- 7.10.4 पैरा 7.9.6 में उल्लेख किए अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत नहीं होती है तो एआरआर से परियोजना की पूंजीकृत न की गई लागत की 1 % राशि घटाना (समायोजित करना)। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसकी जांच की जाएगी।
- 7.10.5 पैरा 7.3.10 में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तव में वहन किए गए खर्च के आधार पर आरएबी/ सीडब्ल्यूआईपी पर जीएसटी को मानना।
- 7.10.6 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।
- 7.10.7 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत दक्षता और औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।
- 7.10.8 तालिका 123 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यहास को अंगीकार करना।
- 7.10.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक परिवर्धन और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यहास को टू-अप करना।
- 7.10.10 जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 124 के अनुसार औसत आरएबी को मानना।
- 7.10.11 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

- 8.6.1 15.18% ईक्विटी की लागत को मानना
- 8.6.2 अन्य पीपीपी हवाईअड्डों के मामले में माने जा रहे लक्षित लाभ प्राप्त करने के अनुपात के अनुरूप 48:52% काल्पनिक ऋण ईक्विटी (लाभ प्राप्त करने के) अनुपात को मानना।
- 8.6.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।
- 8.6.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और लाभ प्राप्त करने के अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% की प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर) को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

- 9.6.1 तालिका 135 के अनुसार डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 10 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

- 10.6.1 जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 168 के अनुसार प्रचालन खर्च, ईंधन प्रचालन खर्च और कार्गो प्रचालन खर्च सहित कुल वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 10.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि में टू-अप के समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान जेआईएएल द्वारा वहन किए गए कुल वास्तविक वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 11 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

- 11.6.1 जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 175 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 11.6.2 यदि गैर वैमानिक राजस्व प्राधिकरण द्वारा तालिका 175 में प्रस्तावित राजस्व से कम हो तो अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय गैर-वैमानिक राजस्व का टू-अप नहीं किया जाएगा।

अध्याय 12: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

- 12.6.1 जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 178 के अनुसार कराधान को मानना।
- 12.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त ढंग से ध्यान में रखकर वैमानिक कर की राशि को टू-अप करना।

अध्याय 13: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

- 13.6.1 जेआईए की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए किसी भी समायोजन को नहीं मानना।
- 13.6.2 जेआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सेवा की गुणवत्ता पूरी तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान रियायत करार में इंगित किए गए निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

- 14.6.1 जेआईएएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 182 के अनुसार एआरआर और वाईपीपी को मानना तथा चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसे टू-अप करना।
- 14.6.2 जेआईएएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 183 के अनुसार अनुमानित वैमानिक राजस्व को मानना।
- 14.6.3 संलग्नक-1 में बताए अनुसार 01 अगस्त, 2024 से प्रभावी परिवर्ती टैरिफ योजना (वीटीपी): इस टैरिफ आदेश की नियत एयरलाइनों के लिए परिवर्ती टैरिफ योजना को मानना
- 14.6.4 जेआईएएल को यह निदेश देना कि वह हितधारकों और ऐरा की जानकारी के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान अर्जित लैंडिंग प्रभारों, वहन किए गए व्यय और वीटीपी योजना के अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहनों का अलग रिकॉर्ड रखे ताकि अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए सुविचारित मत प्राप्त हो सके। प्राधिकरण जेआईएएल को यह भी निदेश देता है कि वह इकाओं के भेदभाव न करने संबंधी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
- 14.6.5 जेआईएएल को यह निदेश देना कि वह अपनी कार्गो हैंडलिंग और ईंधन सेवाओं के लिए अलग खातों का रखरखाव करे और ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक लेखांकन वर्ष (31 मार्च को समाप्त) के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करे।
- 14.6.6 जेआईएएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक 1 के अनुसार टैरिफ दर कार्ड: लैंडिंग प्रभार, पार्किंग प्रभार, यूडीएफ, एक्सरे प्रभार और ईंधन अवसंरचना प्रभार को मानना

16 टैरिफ आदेश

- 16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा संलग्नक-I में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर में वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 16.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 16.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- 16.4 यह टैरिफ आदेश 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी किया जाएगा।
- 16.5 जेआईएल प्राधिकरण के विनियामक दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को समय पर प्रस्तुत करेगी।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव,

सेवामें,

श्री विष्णु मोहन झा,
मुख्य विमानपत्तन अधिकारी,
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जयपुर

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003
2. नागर विमानन महानिदेशालय : एआईसी जारी करने के लिए
3. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003

